



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052020-219592
CG-DL-E-27052020-219592

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239]
No. 239]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2020/ज्येष्ठ 6, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2020/JYAISTHA 6, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2020

सं. 9/2020-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 314(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स (प्रिंटर युक्त कैलकुलेटर्स, जिसे सामान्यतया प्रिंटिंग कैलकुलेटर्स के नाम से जाना जाता है; प्लॉट चार्ट और ग्राफ तैयार करने वाले कैलकुलेटर्स जिन्हें सामान्यतया ग्राफिंग कैलकुलेटर्स के नाम से जाना जाता है; और प्रोग्रामएबल कैलकुलेटर्स को छोड़कर)” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 8470 के अंतर्गत आते हैं के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 24/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 मई, 2015 जिसे सा.का.नि. 437 (अ), दिनांक 29 मई, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुपालन में,

अधिसूचना संख्या 7/15/2019-डीजीटीआर, दिनांक 24 सितम्बर, 2019, जिसे दिनांक 24 सितम्बर, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या फाइल संख्या 7/15/2019-डीजीटीआर, दिनांक 26 मार्च, 2020, जिसे दिनांक 26 मार्च, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि :-

- (i) विषयगत देश से विषयगत वस्तु की लगातार भरमार हो रही है और यदि इस शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो सस्ते मूल्यों पर भारतीय बाजार में आयात के बने रहने की संभावना है;
- (ii) चीन जनवादी गणराज्य से हो रहे इस प्रकार के फालतू आयात के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है;
- (iii) उपलब्ध जानकारी से पता चलता है यदि लागू प्रतिपाटन शुल्क को इस स्तर पर समाप्त कर दिया जाता है तो इस प्रकार हो रही भरमार तथा क्षति के जारी रहने की संभावना है;
- (iv) ऐसे पर्याप्त प्रभाग हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि इस स्तर पर प्रतिपाटन शुल्क को वापस ले लिए जाने से उक्त वस्तु की भरमार और घरेलू उद्योग को क्षति होती रहेगी।

और उन्होंने घरेलू उद्योग को होने वाली इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु पर लगाए गए आयात शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 24/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 मई, 2015, जिसे सा.का.नि. 437 (अ), दिनांक 29 मई, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, उक्त विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्देशित राशि के बराबर की दर से, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

तालिका

क्र. सं.	शीर्षक	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क राशि	मुद्रा	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	8470	इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई देश	निग्बो डेली इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को छोड़कर कोई भी उत्पादक	0.28	अमेरिकी डॉलर	प्रति नग
2.	8470	इलेक्ट्रॉनिक	चीन जनवादी	चीन	निग्बो डेली	1.22	अमेरिकी	प्रति

		कैलकुलेटर	गणराज्य	जनवादी गणराज्य समेत कोई देश	इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को छोड़कर कोई भी उत्पादक		डॉलर	नग
3.	8470	इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर	चीन जनवादी गणराज्य को छोड़कर कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	1.22	अमेरिकी डॉलर	प्रति नग

स्पष्टीकरण- इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर ", जिनमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं :-

क. प्रिंटरयुक्त कैलकुलेटर्स, जिनको सामान्यता प्रिंटिंग कैलकुलेटर्स कहा जाता है।

ख. प्लॉट चार्टस और ग्राफस तैयार करने वाले कैलकुलेटर्स, जिनको सामान्यता ग्राफिंग कैलकुलेटर्स कहा जाता है।

ग. प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स।

2. लगाया गया यह प्रतिपादन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपादन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 354/165/2014 –टीआरयू (पार्ट-II)]

गौरव सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2020

No. 9/2020-Customs (ADD)

G.S.R. 314(E).—Whereas, the designated authority, *vide* notification No. 7/15/2019-DGTR, dated the 24th September 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 24th September 2019, had initiated the review, in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of “Electronic Calculators of all types [excluding calculators with attached printers, commonly referred to as printing calculators, calculators with ability to plot charts and graphs, commonly referred to as graphing calculators and programmable calculators]” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under heading 8470 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in, or exported from the People’s Republic of China (hereinafter referred to as the subject country) imposed *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 24/2015- Customs (ADD), dated the 29th May, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 437 (E), dated the 29th May, 2015;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the designated authority in its final findings, published *vide* notification

No. 7/15/2019-DGTR, dated the 26th March, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- I, Section 1, dated the 26th March, 2020 has come to the conclusion that: -

- (i) there is continued dumping of the subject goods from the subject country and the imports are likely to enter the Indian market at dumped prices in the event of cessation of duty;
- (ii) dumped imports from subject country are causing injury to the domestic industry;
- (iii) the information on record shows likelihood of continuation of dumping and injury in case the anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage;
- (iv) there is sufficient evidence to indicate that the revocation of the anti-dumping duty at this stage will lead to continuation of dumping and injury to the domestic industry,

and has recommended continued imposition of the anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 24/2015- Customs (ADD), dated the 29th May, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 437 (E), dated the 29th May, 2015, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the country as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as indicated in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (8) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty Amount	Currency	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	8470	Electronic Calculator	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Ningbo Deli Electronic Development Co., Ltd.	0.28	US Dollar	Per Piece
2.	8470	Electronic Calculator	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Any other producer except Ningbo Deli Electronic Development Co., Ltd.	1.22	US Dollar	Per Piece
3.	8470	Electronic Calculator	Any country other than People's Republic of China	People's Republic of China	Any	1.22	US Dollar	Per Piece

Explanation. - For the purpose of this Table, "Electronic calculator", exclude the following:

- (a) Calculators with attached printers, commonly referred to as *printing calculators*;
- (b) Calculators with ability to plot charts and graphs, commonly referred to as *graphing calculators*;
- (c) *Programmable calculators*.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F.No.354/165/2014 –TRU (Pt.II)]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.